न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री गोपाल लाल स्वर्णकार, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 04 / 2022

GCMS NO. 2022/41

प्रार्थी

1. हरीश कुमार चाण्डक पुत्र स्व. जगनलाल उम्र 22 साल जाति माहेश्वरी निवासी देवा तहसील व जिला जैसलमेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमति गीता पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण जाति माहेश्वरी निवासी देवा तहसील व जिला जैसलमेर।
2. संरपच ग्राम पंचायत देवा तहसील व जिला जैसलमेर।
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत देवा तहसील व जिला जैसलमेर।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति मोहनगढ तहसील व जिला जैसलमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री कंवराजसिंह, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुनिल पालिवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3. श्री मेहरान खान, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 से 03 की ओर से ।

:: निर्णय :: दिनांक :– 01.09.2023

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस अप्रार्थीगण को जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 को ग्राम पंचायत देवा द्वारा जारी आवासीय पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के विरूद्ध फर्जी व गलत जारी किये गये है। प्रार्थी का कथन है कि दिनांक 30.11.2021 को या इससे पूर्व प्रश्नगत पट्टे जारी करने की ग्राम पंचायत की कोई बैठक नहीं रखी गई थी और न हीं पट्टे देने संबंधी कोई प्रस्ताव पारित हुआ था और न ही कोई मौका निरीक्षण हुआ था। प्रार्थी का आगे कथन है कि सारी कार्यवाही अन्दर ही अन्दर की गई है सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रार्थी का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

कि अप्रार्थी संख्या 01 के मकान को 50 वर्ष पुराना मानते हुए पट्टा जारी किया गया जबकि अप्रार्थी की उम्र 50 साल से कम है एवं प्रार्थी का मतदाता सूची में नाम भी नहीं है। प्रार्थी का अनुरोध है कि प्रश्नगत पट्टा खारिज किया जाए।

अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाव में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दु, तथ्यों के विपरीत एवं आधारहीन है और यह कि प्रश्नगत पट्आ विधि सम्मत एवं पोषणीय हैं। अपने जबाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 01 को जारी प्रश्नगत पट्टे की रसीदें, मिसल पत्रावलियां, ग्राम पंचायत देवा का पट्टा जारी करने संबंधी प्रस्ताव, प्रश्नगत पट्टा का पंजीयन तथा कार्यवाही की प्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत की।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत देवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी आवासीय पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है। उनका आगे तर्क रहा है कि प्रश्नगत पट्टा जारी करने में निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन नही हुआ है एवं प्रश्नगत पट्टा मिलावट से फर्जी जारी हुआ हैं जिसे निरस्त करना वांछनीय है। उनका आगे तर्क रहा है कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत देवा में कोई अभिलेख नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 04 का तर्क रहा कि प्रश्नगत पट्टा राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत देवा द्वारा जारी किया गया है जिसका अभिलेख विधिवत संधारित है। उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अप्रार्थी संख्या 01 गीता देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण का पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत की बैठक का कार्यवाही विवरण जिसमें पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया, पट्टा शुल्क जमा कराने की रसीद, पंजीकृत प्रश्नगत पट्टे की प्रतियां प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर महोदय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपार्ट दिनांक 12.9.2022 के अनुसार भी उक्त पट्टा विधिवत जारी होना पाया गया है। प्रार्थी ने रंजिश रखते हुए निगरानी प्रस्तुत की है जो संधारणीय नहीं है उनका तर्क रहा कि प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाऐ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया । अधिवक्ता प्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रश्नगत आवासीय पट्टा ग्राम पंचायत, देवा ने अपनी बैठक दिनांक 30.11.2021 में प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थिया गीता पत्नी लक्ष्मीनारायण को आवासीय पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत पट्टा उसी अनुसरण में जारी कर उसका पंजीयन कराया गया। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 04 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के परिपेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संधारणीय नही ठहरता है। अतऐव ग्राम पंचायत देवा द्वारा अप्रार्थिया को जारी किए गए पट्टे में प्रार्थी कोई सारभूत अनियमितता सिद्ध नहीं कर पाया है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 01.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर